


## आदेश

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के पत्र संख्या-08/विविध-10-30/2020 गृ0आ0 5216, दिनांक-08.08.2020 तथा वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में निर्गत पुलिस आदेश संख्या-319/2020 सह पठित पत्र संख्या एल-2/52-05-01-2019/149, दिनांक-22.09.2020 में उल्लेखित है कि पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा अनुमोदन के प्रत्याशा में अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को क्षेत्र में सक्रिय ड्यूटी के क्रम में लगातार ठहराव के लिए अधिकतम 06(छः) माह तक पूर्ण दर से दैनिक भत्ता देने की स्वीकृति जिला पुलिस, क्षेत्रीय कार्यालय तथा अन्य सभी कार्यालयों/इकाईयों (बिहार सैन्य पुलिस को छोड़कर) के लिए पुलिस महानिरीक्षक(बजट/अपील एवं कल्याण), बिहार, पटना द्वारा प्रदान की जायेगी।

उक्त आदेश में निम्नवत आंशिक संशोधन किया जाता है:-

“दैनिक भत्ता की स्वीकृति पुलिस महानिरीक्षक (बजट/अपील/कल्याण)/अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण), बिहार, पटना द्वारा प्रदान की जायेगी।”

  
3/2/21  
पुलिस महानिदेशक,  
बिहार, पटना


## बिहार पुलिस मुख्यालय (मुख्यालय एवं बजट प्रभाग)

ज्ञापांक-वित्त-2/-1-02-39-2020/...141...

दिनांक- 4.2.2021

### प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार(ले0 एवं हक0), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं उनसे समकक्ष/वरीय कोटि के सभी पुलिस पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. प्रशाखा पदाधिकारी, एल-2 प्रशाखा(स्थापना एवं विधि प्रभाग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
5. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं Police website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
3/2/21  
पुलिस महानिदेशक,  
बिहार, पटना